न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00038

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
केसाराम पुत्र अमराराम जाति देवासी निवासी विंगरला, तहसील रानी जिला पाली (राज.)		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19.12.2019

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रानी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 38/2018 सरकार बनाम केसाराम में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2018 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का वरकाणा ने अपीलाण्ट को ग्राम विंगरला के खसरा नम्बर 246 रकबा 00.03 हैक्टेयर किस्म बा.दो (गोचर) भूमि पर बाड़ा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 38/2018 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 30.10.2018 का पटवार भवन वरकाणा में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। मातहत अदालत ने दिनांक 30.10.2018 को अपीलाण्ट के नाम जारी नोटिस प्रोपर तामील प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी, उसी दिवस अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया जाकर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित से भी दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट ने कभी भी पूर्व में अतिक्रमण नहीं किया है, फिर भी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया गया है तथा अपीलाण्ट के नाम जारी नोटिस में पूर्व में उसने किस वर्ष अतिचार किया, इसका अंकन नहीं है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी उनके निवास पर पुलिस थाने से कॉन्स्टेबल उसके नाम का गिरफ्तारी वारंट लेकर आया, तब पता चला, उस समय अपीलाण्ट घर पर नहीं था। इसके पश्चात अपीलाण्ट दिनांक 18.02.2019 को तहसील कार्यालय में गया तथा जैर अपील आदेश के संदर्भ में पता किया व उसके अगले दिन ही अपील न्यायालय में पेश कर दी। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर निगरानी आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी वरकाणा, भू. अ. निरीक्षक बिजोवा, अपीलाण्ट स्वयं एवं मौतबिरान की उपस्थित में दिनांक 09.08.2018 को जैर अपील आराजी से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पूनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी वरकाणा की इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट एक अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है, इसलिए उसे कानूनी मामलों की जानकारी नहीं होने से तथा न्याय की दृष्टि से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार रानी के आदेश क्रमांक/राजस्व/18/993–994 दिनांक 06.08.2018 की पालना पटवारी हल्का विंगरला एवं भू.अ. निरीक्षक, बिजोवा ने दिनांक 09.08.2018 को अपीलाण्ट को ग्राम विंगरला के खसरा नम्बर 246 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म बा.दो. (गोचर) भूमि पर वाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर उसे मौतबिरानों की उपस्थिति में भौतिक रूप से बेदखल किया है। जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न बेदखली फर्द से होती है। उसी आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः संवत् 2075 में अतिक्रमण किए जाने से तहसीलदार रानी ने पटवारी हल्का वरकाणा की टी.पी. रिपोर्ट पर दिनांक 08.10.2018 को प्रकरण संख्या 38/2018 दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर दिनांक 30.10.2018 को अपीलाण्ट अनुपस्थित रहने से उसके द्वारा किया गया अतिचार, जो पश्चातवर्ती अतिचार की श्रेणी में आने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(2) के तहत जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/– रूपये जुर्माने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाण्ट ने पूर्व में भी अतिक्रमण किया था तथा उसे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा पुनः जैर अपील आराजी पर मात्र एक माह के पश्चात ही अतिक्रमण किया है, जिससे मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है तथा उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है तथा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि सम्मत है। परन्तु अपीलाण्ट एक अनपढ़,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्रामीण एवं पशुपालक व्यक्ति होने के कारण इस अदालत द्वारा उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए सशर्त निर्णय पारित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल कारावास के आदेश को इस शर्त पर अपास्त किया जाता है कि वह पन्द्रह दिवस की अवधि में तहसीलदार रानी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसने अतिक्रमित आराजी से कब्जा हटा दिया है तथा भविष्य में किसी प्रकार की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। मातहत अदालत द्वारा पारित जुर्माना एवं आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्तानुसार आदेश की पालना नहीं की जाती है, तो मातहत अदालत का आदेश दिनांक 30.10.2018 यथावत रहेगा। तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली